# न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर,टोंक

प्रकरण संख्या
40/2026

श्री जाकिर हुसैनपुत्र अब्दुल हफीज निवासी हाजी कॉलानी बम्बोर रोड गली नं. 2 अन्नपूर्णा टोंक तहसील व जिला टोंक
––अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ––प्रत्यर्थी

**अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005**

<u>निर्णय</u> दिनांक **07.05.2026**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आर्नलाईन अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 26.02.2026 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गईः–

प्रार्थी जाकिर हुसैन दुवारा दर्ज शिकायत एक ही परिवार में अलग अलग जाति प्रमाण पत्र जारी करने गठित छानबीन समिति जिसमे नाजया खान और फरहान अनीस के जाति प्रमाण पत्र की जाँच की जानी हे जिसमे दिनाक 21 जनवरी 26 और 17 फरवरी 26 को बेठक हो चुकी हे उक्त छानबीन समिति बैठक प्रोसेडीग की (सूचना) कॉपी ओर प्रार्थी को सूचना जारी करने की दिनाक तक समस्त दस्तावेज ओर गवाहों के बयानों की ओर आर्डर शीट प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध कराए यदि सूचना जारी करने की दिनाक तक निर्णय हो चुका हो तो निर्णय सहित सम्पूर्ण पत्रावलि की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध कराए निर्णय नहीं हुआ हो तो विलंभ का कारण बताए

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को पत्र कमांक 714 दिनांक 09.04.2026 व 805 दिनांक 21.04.2026 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट दिनांक 30.04.2026 को उपस्थित हुए। राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र कमांक 148 दिनांक 27.04.2026 से जवाब प्रति प्रेषित किया है कि अपीलाण्ट द्वारा चाही गई सूचनां का संबंध लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग कलेक्ट्रेट टोंक से होने से उनके पत्र कमांक 181 दिनांक 27.02.2026 से अन्तरित करने पर प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग कलेक्ट्रेट टोंक ने उनके पत्र कमांक 3465 दिनांक 25.03.2026 से अपीलान्ट को सूचित किया गया है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)

(टीना डाबी)
जिला कलेक्टर टोंक
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

838